आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।

–:: आदेश ::–

श्रीमती गीता पाण्डेय, तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, आरा सदर, भोजपुर सम्प्रति महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, फतुहां दनियावॉं के विरूद्ध माननीय मंत्री सामाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 15.04.2011 को निरीक्षण के क्रम में ऑगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण न करने, जाँच के क्रम में टेक होम राशन में अनियमितता पाये जाने, सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में लाभुकों को वितरण नहीं करने एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों के पंजी के संधारण में कमी पाये जाने का आरोप के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आरा, भोजपुर के पत्रांक 695 दिनांक 17.11.2011 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर निदेशक, आई0सी0डी0एस0, पटना को भेजा गया था।

2. प्रतिवेदित आरोपों को लेकर आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, पटना के आदेश ज्ञापांक 260 दिनांक 25.01.2012 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के तहत श्रीमती पाण्डेय को तीन वर्षो के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की सजा दी गई थी, जिसे श्रीमती पाण्डेय द्वारा दायर अपील में निर्णय लेते हुए सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 6039, दिनांक 06.11.2014 द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं आदेश दिया गया कि श्रीमती पाण्डेय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उस पर सम्यक विचारोपरान्त आदेश पारित किया गया।

3. श्रीमती गीता पाण्डेय के विरूद्ध गठित आरोपों को लेकर आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पटना के आदेश ज्ञापांक 6428 दिनांक 27.11.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती सुरजिता सिन्हा, प्रशिक्षण पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. श्रीमती सुरजिता सिंहा, प्रशिक्षण पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा जाँच कार्य सम्पन्न कर पत्रांक 878 दिनांक 18.12.2015 से निदेशक, आई0सी0डी0एस0, पटना को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमती गीता पाण्डेय के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

5. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, पटना द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं का नियुक्ति प्राधिकार होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त में निहित होने का उल्लेख करते हुए पत्रांक 235 दिनांक 01.02.2016 द्वारा श्रीमती पाण्डेय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की मूल प्रति एवं अन्य संगंत कागजात को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को प्रेषित किया गया।

6. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, पटना के स्तर से श्रीमती पाण्डेय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार के सहमति के पश्चात बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 711 दिनांक 14.06.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति को प्रेषित करते हुए श्रीमती पाण्डेय से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्रीमती पाण्डेय द्वारा निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर पुनः पत्रांक 276 दिनांक 17.02.2017 द्वारा उन्हें लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया।

7. उक्त के आलोक में श्रीमती पाण्डेय द्वारा दिनांक 22.06.2017 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षा के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि पूर्व में उनके द्वारा समर्पित बचाव–बयान से अलग कोई नई बात नही है। अतएव इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा इसे अस्वीकृत करते हुए जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आधार पर दंड का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती गीता पाण्डेय, तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, आरा सदर, भोजपुर सम्प्रति महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, फतुहा, दनियावाँ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधान के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन(आरोप वर्ष 2011–12)।

(ii) संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

आयुक्त के आदेश से,

ह0/–

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल, पटना।

निबंधित/स्पीड पोस्ट

ज्ञापांकः–स्था०(XI)–01/2016 1108 **/स्था०, पटना, दिनांक–** 17.07 **,2017**

प्रतिलिपिः– सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, आई०सी०डी०एस०, बिहार, पटना/जिलाधिकारी, भोजपुर/पटना/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भोजपुर/पटना/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फतुहा, दनियावाँ/श्रीमती सुरजिता सिन्हा, प्रशिक्षण पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/श्रीमती गीता पाण्डेय, तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, आरा सदर, भोजपुर सम्प्रति महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, फतुहा, दनियावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल, पटना।